अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लबगढ़ में दिनाँक 13 फरवरी, 2016 को संभाग प्रथम के सभागर में महिला प्रकोभठ के तत्वावधान में एक वार्ता का आयोजन किया गया. वार्ता का विभाय था “महिलाओं के अधिकार“ और मुख्यवक्ता के रुप में एडवोवोकेट उमा चौहान तथा एडवोकेट रवि कान्त उपस्थित थे. जैसा की विदित है कि महाविद्यालय प्राचार्य डॉ0 कृभणकान्त गुप्ता के कु'ाल मार्गद'ान में महाविद्यालय में वर्भाभर अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, इसी श्रंखला में महिला प्रकोभठ की अधिकारी डॉ0 रीना चौधरी, श्रीमती 'ाोभना गोयल तथा डॉ0 रेणू माहे'वरी के प्रयासो से यह वार्ता आयोजित कराई गई. जिसमें विद्यार्थियों ने वि'ोभा रुचि दिखाई.

आज की महिला कमजोर नहीं है बल्कि वह स'ाक्त है. भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए अनेकानेक अधिकारों के प्रावधान है जिनके द्वारा महिलाएँ अपने हक के प्रति जागरुक रहकर समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकती है. इन्हीं बिन्दुओं पर प्रका'ा डालते हुए अतिथि वक्ता उमा चौहान ने कानूनी रुप से महिलाओं के स'ाक्तिकरण पर प्रका'ा डाला. उन्होंने लाडली योजना, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल सुरक्षा एवं यौन उत्पीणन इत्यादि बिन्दूयों पर प्रका'ा डालते हुए नारी सुरक्षा से संबंधित फोन नम्बर इत्यादि के बारे में जनकारी दी. समस्त छात्रओं ने इस वक्तव्य मे वि'ोभा रुचि दिखाई और अनेकानेक जिज्ञासाओं का समाधान किया. अतः महिलाओं के अधिकारों के लिए आयोजित यह वार्ता पूर्णतः सफल रही.